पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड

बनाम

जगदेव सिंह और वगैरह

(2006 की सिविल अपील सं 3977)

12 जून, 2008

[डॉ. अरिजीत पासायत और पी.पी. नाओलेकर जेजे.]

सेवा कानून-पदोन्नति-अपने कनिष्ठों को पदोन्नित करने से रोकने का निषेधाज्ञा का दावा खारिज-प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि वादीगण को उनके कनिष्ठो की पदोन्नति की तारीख से पदोन्नति का अधिकार होगा-द्वितीय अपील खारिज-अपील पर, निर्णीत: उच्च न्यायालय का आदेश खारिज किया क्योंकि कार्यालय आदेश/परिपत्र, जिन पर दोनों पक्ष निर्भर थे, उन्हें उच्च न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया गया।

प्रत्यर्थी/वादी ने अपने पदोन्नति के लिए दावा किया। उन्होंने तर्क दिया कि उनके कनिष्ठों की दिनांक 23.05.1991 को पदोन्नति हो गयी जबकि वे दिनांक 19.11.1990 को पदोन्नति हेतु योग्य थे। विचारण न्यायालय द्वारा दावा खारिज किया गया। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि वादी अपने कनिष्ठों की पदोन्नति की तारीख से पदोन्नति के हकदार थे। प्रथम अपीलीय न्यायालय के आदेश को बरकरार रखते हुए द्वितीय अपील खारिज हुई।

इस न्यायालय को अपील पर अपीलकर्ता-बोर्ड ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय ने निर्णय पारित करते समय परिपत्र संख्या 4/18/81-आईपीपी 5594 दिनांकित

27.04.1982 को ध्यान में नहीं रखा। जिसमें उच्च पदों की पदोन्नति की योग्यता के संबंध में निर्देश दिये गये हैं।

प्रत्यर्थी ने तर्क दिया कि विनियमों जिन्हें कार्यालय आदेश संख्या -615/रजि 293(परिपत्र संख्या-46/87) दिनांकित 15.10.87 एवं आदेश संख्या-674/रजि.25/ए/ वाल्यूम-IV दिनांकित 05.10.89 (परिपत्र संख्या-35/89) के माध्यम से संशोधित किया गया था। उनको उच्च न्यायालय ने ध्यान में नहीं रखा।

अपील का निबटारा करते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित:

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि कुछ कार्यालय आदेश/परिपत्र, जिन पर दोनों पक्ष निर्भर थे, जिन पर उच्च न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया गया। विवादित आदेश को खारिज किया गया और गुणावगुण पर विचार करने के लिए मामला उसके पास भेजा गया। संबंधित परिपत्र एवं विनियम मामले के तथ्यों पर लागू संशोधन पर विधिवत विचार किया जाना चाहिए। [पैरा 7] [1150-बी और सी]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या- 3977/2006।

उच्च न्यायालय पंजाब और हरियाणा, चण्डीगढ के नियमित द्वितीय अपील संख्या- 1176 ऑफ 2001 अंतिम निर्णय एवं आदेश दिनांकित 22.07.2003 से।

अपीलकर्ता के लिए विवेक किशोर, रुचि गौर नंदा, संगीता भारती और राजीव नंदा।

प्रत्यर्थी के लिए आर.के. कपूर, मानसी धीमान और अनीस अहमद खान।

न्यायालय का निर्णय डॉ. अरिजीत पासायत, जे. द्वारा दिया गया।

1. अपीलार्थी-पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड (संक्षेप में 'बोर्ड) ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की एकल पीठ के उस निर्णय की शुद्धता पर सवाल उठाया, जिसमें द्वितीय अपील धारा 100 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 (संक्षेप में 'सीपीसी') को खारिज किया गया।

2. एक दावा बाबत घोषणा परिणामी राहत स्थायी निषेधाज्ञा प्रत्यर्थी-वादी ने वरिष्ठ उप न्यायाधीश पटियाला में पेश किया। उन्होंने दावा किया कि बोर्ड जो तकनीकी अधीनस्थ ग्रेड-I था। उसके द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.10.1989 के संदर्भ में वे सहायक अभियंता (विद्युत) के रूप में पदोन्नति के लिए विचार किये जाने के हकदार है। बोर्ड और उसके पदाधिकारियों को विभागीय परीक्षा के आधार पर किसी भी तकनीकी अधीनस्थ ग्रेड-I को बढावा देने से रोकने के लिए स्थायी निषेधाज्ञा से राहत का दावा किया गया था, क्योंकि वादी निजी प्रतिवादियों से वरिष्ठ थे और दिनांक 15.05.1991 को हुई विभागीय परीक्षा हेतु योग्य हो गये थे। परीक्षा दिनांक 26.03.1991 को हुई थी। कुछ कर्मचारी जो वादी के कनिष्ठ थे उनकी पदोन्नति दिनांक 23.05.1991 को हो गयी। इन व्यक्तियों ने दिनांक 19.11.1990 को हुई विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण की थी।

3. विचारण न्यायालय द्वारा दावा खारिज कर दिया गया था। अपील में प्रथम अपीलीय न्यायालय ने पाया कि जिस दिनांक से कनिष्ठों को पदोन्नत कर सहायक अभियंता(विद्युत) जरिये आदेश दिनांकित 23.05.1991 बनाया गया। उस दिनांक से वादीगण पदोन्नति सहित सभी परिणामी लाभ के हकदार होंगे। बोर्ड द्वारा निर्णय की शुद्धता पर सवाल उठाते हुए द्वितीय अपील पेश की गयी, जिसे विवादित आदेश द्वारा खारिज यह अभिनिर्धारित करते हुए किया गया कि पदोन्नति का आदेश गैर-सरकारी प्रतिवादीगण के संबंध में जारी किया गया था, प्रतिवादीगण पदोन्नति के लिए योग्य थे

और चूंकि गैर-सरकारी प्रतिवादी के कनिष्ठ थे, अतः वादीगण ने यह अधिकार प्राप्त कर लिया था कि वे अपने कनिष्ठों की पदोन्नति की तारीख से पदोन्नति के हकदार थे।

4. अपील के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता अपीलकर्ता-बोर्ड ने तर्क दिया कि परिपत्र संख्या 4/18/81-आईपीपी 5594 दिनांकित 27.04.1982 जो मुख्य सचिव द्वारा पंजाब सरकार के सभी विभागों के प्रमुख को जारी किया गया। उक्त परिपत्र के प्रभाव के संबंध में विचार नहीं किया गया। उक्त परिपत्र में रिक्ती की तिथि से उच्च पदों पर पदोन्नति के लिए पात्रता के निर्धारण के संबंध में निर्देश शामिल थे।

5. विद्वान अधिवक्ता अपीलकर्ता ने आगे जाहिर किया कि रिक्ती की तिथि की घटना को ही उच्च पदों पर पदोन्नति के लिए पात्रता के निर्धारण की प्रासंगिक तिथि माना जाना चाहिए। निसंदेह रिक्ती नवम्बर 1989 में निकली थी, जब निजी प्रतिवादियों ने पात्रता मानदण्डों को पूरा किया तब रिक्तियां मौजूद थीं और उनकी पात्रता नवम्बर 1989 से मानी जानी थी, यानी रिक्तियों की घटना या किसी भी घटना नवम्बर 1990 से जब उन्होंने पात्रता मानदण्डों को पूरा किया था।

6. विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी ने तर्क दिया कि परिपत्र की कोई प्रासंगिकता नहीं होगी क्योंकि प्रतिवादियों ने 19.11.1990 को अर्हता प्राप्त की थी और यद्यपि पदों की रिक्ती को देखते हुए उनकी पात्रता उस तिथि से मानी जानी थी, फिर भी प्रत्यर्थीगण को कोई भी परीक्षा लेने की आवयश्कता नहीं थी। कार्यालय आदेश संख्या -615/रजि 293(परिपत्र संख्या-46/87) दिनांकित 15.10.87 एवं आदेश संख्या-674/रजि.25/ए/वाल्यूम-IV दिनांकित 05.10.89 (परिपत्र संख्या-35/89) के माध्यम से विनियमों में कुछ संशोधनों पर मजबूत निर्भरता रखी गयी। पक्षकारान के विद्वान अधिवक्तागण ने यह स्वीकार किया कि परिपत्रों के प्रभाव और विनियमों में संशोधनों पर उच्च न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया गया।

7. उपरोक्त पहलुओं को ध्यान में रखते हुए हम उच्च न्यायालय के विवादित आदेश को रद्द करते हैं और मामले को गुणावगुण के आधार पर विचार के लिए उच्च न्यायालय के पास भेजते हैं। कहने की आवश्यकता नहीं है कि मामले के तथ्यों पर लागू संशोधन सहित संबंधित परिपत्र और विनियमों पर विधिवत विचार किया जाना चाहिए। चूंकि मामला लम्बे समय से लम्बित है। इसलिए हम उच्च न्यायालय से अनुरोध करते हैं कि अपील को विधि अनुसार यथाशीघ्र, अधीमानतः इस आदेश की प्राप्ती की तारीख से छः महीने के भीतर निपटाया जाये।

8. अपील का निपटारा खर्चा के संबंध में बिना किसी आदेश के किया जाता है।

के.के.टी. अपील खारिज की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक, न्यायिक अधिकारी ललित मीना (आर.जे.एस.), द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।